

**राजस्थान सरकार**  
**निदेशालय खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर**

क्रमांक: निदे/अ.ख.आ. नीलामी/नीलामी(ML Bajri VII)/2024/ई-07193

**ई-नीलामी विज्ञाप्ति**

सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 के अध्याय-III के अन्तर्गत अप्रधान खनिज बजरी के खननपट्टों ई-नीलामी (e-auction) के माध्यम से आंवटित किये जाने हैं, जिसके लिए इच्छुक बोलीदाता आवेदन शुल्क व बिड की प्रतिभूति राशि जमा कर ई-नीलामी में भाग ले सकता है। ई-नीलामी में भाग लेने वाले बोलीदाताओं को आवेदन शुल्क रुपया 10,000/- तथा बिड प्रतिभूति राशि (नीचे अंकित तालिका अनुसार) निर्धारित तिथि तक ई-नीलामी की सेवा प्रदाता कम्पनी एम.एस.टी.सी. लिमिटेड को जमा कराना आवश्यक होगा। आंवटित किये जाने वाले खनन पट्टों (प्लॉट) का विवरण एवं बोली की निर्धारित तिथियां व समय निम्नानुसार है :-

क्र. स.	कार्यालय का नाम जिसमें खनन प्लॉट स्थित हैं एवं प्लॉट क्रमांक	खनन पट्टा (प्लॉट) का विवरण				प्लॉट का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	खनिज बजरी की वार्षिक उपलब्ध मात्रा (ठन में)	बिड प्रतिभूति राशि (रुपयों में)	आरक्षित राशि (रुपयों में)	बोली लगाने हेतु आवेदन शुल्क व बिड प्रतिभूति राशि जमा कराने की अंतिम तिथि	ऑनलाइन बोली की दिनांक	ऑनलाइन बोली का समय	एनेक्शर क्रमांक जहाँ प्लॉट का विस्तृत विवरण अंकित है। (नोट:- एनेक्शर वेबसाइट पर अपलोड इस विज्ञाप्ति के साथ संलग्न है।)
		भूमि का प्रकार	राजस्व ग्राम	तहसील	जिला								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	सहायक खनि अभियंता, गोटन प्लॉट क्रमांक: 12	गैर मुमकिन नदी	जसनगर	रियाबड़ी	नागौर	52.2654	112026.816	40 लाख	2090640	09.09.24	10.09.24	10.30 ए.एम. से 12.30 पी. एम.	एनेक्शर-1
2	खनि अभियंता, सोजत सिटी प्लॉट क्रमांक: 130 (बजरी प्लॉट संख्या-12)	गैर मुमकिन नदी	बिजोवा	रानी	पाली	97.6116	266845.7115	40 लाख	3904480	09.09.24	10.09.24	01.00 पी.एम. से 03.00 पी. एम.	एनेक्शर-2
3	खनि अभियंता, जोधपुर प्लॉट क्रमांक: BJRJD 7	गैर मुमकिन नदी	धुन्धाडा	लूणी	जोधपुर (ग्रामीण)	97.2103	393702	40 लाख	3888440	09.09.24	10.09.24	03.00 पी.एम. से 05.00 पी. एम.	एनेक्शर-3
4	खनि अभियंता, बाड़मेर प्लॉट क्रमांक: 206	गैर मुमकिन नदी	सराणा	पचपदरा	बालोतरा	99.00	334125	40 लाख	3960000	10.09.24	11.09.24	10.30 ए.एम. से 12.30 पी. एम.	एनेक्शर-4
5	खनि अभियंता, भीलवाड़ा प्लॉट क्रमांक: बीजे-38	गैर मुमकिन नदी	खेराबाद व कान्याखेड़ा	हमीरगढ़	भीलवाड़ा	94.2609	1018017	40 लाख	3770440	10.09.24	11.09.24	01.00 पी.एम. से 03.00 पी. एम.	एनेक्शर-5

RajKaj Ref  
8659200

6	खनि अभियंता, बिजौलियां प्लॉट क्रमांक: बीजे-10	गैर मुमकिन नदी	गोपालपुरा, जालियां, पदमपुरा	माण्डलगढ़	भीलवाड़ा	72.5221	979048.35	40 लाख	2900920	10.09.24	11.09.24	03.00 पी.एम. से 05.00 पी. एम.	एनेकशर-6
7	खनि अभियंता, सोजत सिटी प्लॉट क्रमांक: 131 (बजरी प्लॉट संख्या-13)	गैर मुमकिन नदी	पुनाडिया	रानी	पाली	92.76	262974.60	40 लाख	3710400	18.09.24	19.09.24	10.30 ए.एम. से 12.30 पी. एम.	एनेकशर-7
8	खनि अभियंता, जोधपुर प्लॉट क्रमांक: BJRJD 9	गैर मुमकिन नदी	बाला	बिलाड़ा	जोधपुर (ग्रामीण)	94.8225	76806	40 लाख	3792920	18.09.24	19.09.24	01.00 पी.एम. से 03.00 पी. एम.	एनेकशर-8
9	खनि अभियंता, बाडमेर प्लॉट क्रमांक: 207	गैर मुमकिन नदी	कनाना	पचपदरा	बालोतरा	75.00	253125	40 लाख	3000000	18.09.24	19.09.24	03.00 पी.एम. से 05.00 पी. एम.	एनेकशर-9
10	खनि अभियंता, भीलवाड़ा प्लॉट क्रमांक: बीजे-39	गैर मुमकिन नदी	खेराबाद व कान्याखेड़ा	हर्मीरगढ़	भीलवाड़ा	47.0597	508245	40 लाख	1882400	23.09.24	24.09.24	10.30 ए.एम. से 12.30 पी. एम.	एनेकशर-10
11	खनि अभियंता, बिजौलियां प्लॉट क्रमांक: बीजे-11	गैर मुमकिन नदी	जालियां, रलायता व बिलियां	माण्डलगढ़	भीलवाड़ा	74.3801	1004131.35	40 लाख	2975240	23.09.24	24.09.24	01.00 पी.एम. से 03.00 पी. एम.	एनेकशर-11
12	खनि अभियंता, बाडमेर प्लॉट क्रमांक: 210	गैर मुमकिन नदी	बिठुजा	पचपदरा	बालोतरा	99.00	178200	40 लाख	3960000	23.09.24	24.09.24	03.00 पी.एम. से 05.00 पी. एम.	एनेकशर-12

#### अ महत्वपूर्ण बिंदु:-

- खनिज बजरी के खनन पट्टे की अवधि संविदा पंजीयन की दिनांक से 5 वर्ष के लिये होगी।
- आंविति किये जाने वाले प्लॉटों की लोकेशन एवं अन्य सूचनाएं उपरोक्त तालिका के कॉलम संख्या 14 के अनुसार प्रत्येक प्लॉट के लिए निर्धारित एनेकशर पर उपलब्ध है। उक्त सूचना विभागीय वेबसाइट [www.mines.rajasthan.gov.in](http://www.mines.rajasthan.gov.in) पर तथा सेवा प्रदाता एमएसटीसी लिमिटेड की वेबसाइट [www.mstcecommerce.com](http://www.mstcecommerce.com) पर भी उपलब्ध है, जहां से डाउनलोड की जा सकती है। नीलाम किये जा रहे खनन प्लॉट जहाँ हैं, जैसे हैं के आधार पर नीलाम किए जा रहे हैं। बोलीदाता सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर एवं देशान्तर के आधार पर प्लॉट का निरीक्षण अपने स्तर पर करेगा। प्लॉट की स्थिति, उपलब्ध खनिज, पहुंच के रास्ते एवं अन्य आधारभूत सुविधाओं इत्यादि बाबत बोलीदाता पूर्ण रूप से बोली लगाने से पूर्व स्वयं को आश्वस्त करेगा। इस संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति / शिकायतें बाद में स्वीकार नहीं की जायेगी।
- ई-नीलामी प्रीमियम राशि की होगी तथा प्रीमियम राशि खननपट्टा अवधि में केवल एक बार जमा करानी होगी। उच्चतम बोलीदाता को प्रीमियम की राशि राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 13 के तहत 4 किश्तों में जमा करानी होगी। प्रथम किश्त (बोली राशि की 40 प्रतिशत राशि के बराबर) ई-ऑक्शन पूर्ण होने की तिथि से 15 दिन में जमा करानी होगी, द्वितीय किश्त (बोली राशि की 20 प्रतिशत राशि के बराबर) संविदा निष्पादन के पूर्व, तृतीय किश्त (बोली राशि की 20 प्रतिशत राशि के बराबर) खनन पट्टा के द्वितीय वर्ष के प्रारंभ में व अंतिम किश्त (बोली राशि की 20 प्रतिशत राशि के बराबर) तृतीय वर्ष के प्रारंभ में जमा करानी होगी। उक्त प्रीमियम राशि का समायोजन स्थिर भाटक, रॉयल्टी इत्यादि में नहीं होगा।
- खननपट्टे का आंवटन एवं ई-ऑक्शन की प्रक्रिया राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 एवं इसके तहत जारी विज्ञप्ति के अंतर्गत होगी।

RajKaj Ref  
8659200

- 5 खनन पटटा धारक को खनिज बजरी के खनन/निर्गमन हेतु जारी होने वाली पर्यावरण अनुमति के लिए प्रतिवर्ष आवश्यक रिप्लेनिश्मेंट स्टडी विभागीय ऐंजेसी द्वारा कराये जाने पर विभाग द्वारा निर्धारित शुल्क राशि के रूप में जमा करानी अनिवार्य होगी।
- 6 यदि भविष्य में उक्त विज्ञप्ति के सम्बन्ध में कोई परिवर्तन किया जाता है तो इसकी सूचना विभागीय वेबसाईट व सेवा प्रदाता एम.एस.टी.सी. की वेबवाइट पर दी जावेगी। इसका प्रकाशन समाचार पत्रों में अलग से नहीं किया जायेगा।
- 7 प्रत्येक प्लॉटों की प्रथम बार ई—नीलामी हेतु कम से कम 2 बोलीदाताओं का होना आवश्यक है। यदि ई—नीलामी के प्रथम प्रयास में दो से कम बोलीदाताओं द्वारा भाग लिया जाता है तो बोलीदाता को सफल बोलीदाता घोषित नहीं किया जायेगा तथा ई—नीलामी रद्द की जायेगी। ई—नीलामी के द्वितीय प्रयास में यदि किसी प्लॉट में दो से कम बोलीदाता रहते हैं तो एकल बोलीदाता को सफल बोलीदाता घोषित कर दिया जायेगा।

#### **ब बोलीदाता के लिए बोली में भाग लेने की प्रक्रिया:-**

- 1 ई—नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने के इच्छुक व्यक्तियों को [www.mstcecommerce.com](http://www.mstcecommerce.com) के पोर्टल से पंजीयन कराना होगा। यदि किसी व्यक्ति / फर्म / कम्पनी आदि ने पूर्व में ही एमएसटीसी लिमिटेड के पोर्टल में पंजीयन करा रखा है तो उन्हें पुनः पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं है। पंजीयन हेतु पोर्टल के होम पेज में उपलब्ध पंजीयन मार्गदर्शिका (मैन्युअल) अथवा एमएसटीसी लिमिटेड के फोन नंबर पर आवश्यकतानुसार मदद ली जा सकती है।
- 2 ई—नीलामी की प्रक्रिया के संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिये सेवा प्रदाता की वेबसाईट पर एवं उनके किसी भी कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है। जयपुर कार्यालय का पता— कमरा नं0 114, फर्स्ट फ्लोर, बीएसएनएल बिल्डिंग, लाल कोठी, नगर निगम के पीछे, जयपुर है व फोन न. 0141—2742208 है। विभागीय हेल्पलाईन नम्बर 0294—2415091 (एक्सटेंशन नम्बर 212, 219) है।
- 3 पंजीयन प्रक्रिया के बहुत पंजीयनकर्ता के पास वैध ई—मेल आईडी और डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (डीएससी) होना आवश्यक है उक्त सर्टिफिकेट साइनिंग टाइप एवं न्यूनतम वकास—गा का होना चाहिए। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट प्राप्त करने की प्रक्रिया वेबसाईट [www.eproc.rajasthan.gov.in](http://www.eproc.rajasthan.gov.in) पर दी गई है। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के पासवर्ड की गोपनीयता बोलीदाता को ही रखनी होगी।
- 4 पंजीयन हेतु ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन फार्म भरने के बाद एम.एस.टी.सी. द्वारा आवश्यक दस्तावेजों की सूची (जैसे पैन कार्ड, एड्रेस प्रुफ, बैंक अकाउन्ट नम्बर, बैंक से हस्ताक्षर का प्रमाणीकरण, डी.एस.सी. सीरियल नम्बर, फर्म / कम्पनी होने की दशा में अधिकृत व्यक्ति का पैन कार्ड एवं एड्रेस प्रुफ, रजिस्ट्रेशन फीस 10000/- व जी.एस.टी. जमा कराने पर जारी यू.टी.आर. नम्बर) बोलीदाता को उसके ई—मेल आई.डी. पर भिजवाई जायेगी। बोलीदाता को रजिस्ट्रेशन फीस जमा कराते हुये दस्तावेज एम.एस.टी.सी. को ई—मेल से भिजवाने होंगे।

#### **स ई—नीलामी की प्रक्रिया**

- 1 ई—नीलामी में भाग लेने हेतु बोलीदाता द्वारा सर्वप्रथम अपने डिजिटल सिग्नेचर बनवाकर एमएसटीसी में पंजीयन कराने के उपरान्त नीलामी विज्ञप्ति में अंकित निर्धारित समय व तिथि तक प्रत्येक प्लॉट हेतु नॉन—रिफण्डेबल आवेदन शुल्क राशि 10,000/-— एवं बिड सिक्यूरिटी जमा करा देने पर ऑनलाईन बोली में भाग ले सकेगा। बोलीदाता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह प्रत्येक प्लॉट के लिए अलग—अलग आवेदन शुल्क व बिड सिक्यूरिटी जमा करायें। बोलीदाता द्वारा एक लम्पसम राशि भी जमा करवाई जा सकती है जिसमें से वह जिस—जिस प्लॉट हेतु बोली लगायेगा, उस प्लॉट के अनुसार आवेदन शुल्क व बिड सिक्यूरिटी राशि लम्पसम राशि में से कम होनी जायेगी।
- 2 बोलीदाता द्वारा आवेदन शुल्क एवं बिड सिक्यूरिटी जमा कराने पर यह माना जायेगा कि बोलीदाता द्वारा ई—नीलामी की शर्तें एवं आर.एम.एस.सी.आर., 2017 के प्रावधानों का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन कर लिया गया है। बोली प्रस्तुत करने में किसी भी असावधानी, गलती अथवा कमी हेतु बोलीदाता स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 3 बोलीदाता द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर (डीएससी जिसके सिरियल नम्बर बोलीदाता द्वारा एमएसटीसी को दिये गये हैं) से ही बोली प्रस्तुत की जा सकेगी।
- 4 बोली प्रिमियम की आरक्षित दर (रिजर्व प्राइज) जो कि कॉलम संख्या 10 में अंकित है, से कम स्वीकार नहीं की जायेगी।

**RajKaj Ref  
8659200**

- 5 बोलीदाता जिस प्लॉट के लिए बोली लगाना चाहता है। उसके लिए बिड प्रतिभूति राशि नियत तिथि को जमा कराते हुए प्लॉट की नीलामी के तय समय के दौरान “सेलफ ओथराइज़” करना आवश्यक है, अन्यथा वे नीलामी की निर्धारित समयावधि के अंतिम समय के पश्चात् अतिरिक्त समय में चल रही बिडिंग में भाग नहीं ले सकेंगे।
- 6 उच्चतम बोलीदाता के अतिरिक्त अन्य भाग लेने वाले बोलीदाताओं की जमा बिड प्रतिभूति राशि बोली समाप्ति के पश्चात् अधिकतम अगले कार्यदिवस तक संबंधित बोलीदाता को लौटा दी जावेगी। लेकिन आवेदन—शुल्क नहीं लौटाया जायेगा।
- 7 बोलीदाता अपनी बोली नीलामी पूर्ण होने से पूर्व कितनी भी बार बढ़ा सकता है। नीलामी समाप्ति के निर्धारित समय से आठ मिनट के अन्दर यदि कोई बोली प्राप्त होती है तो बोली का समय, बोली प्रस्तुत करने के समय से आठ मिनट स्वतः ही बढ़ जावेगा। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक अंतिम आठ मिनट में कोई बोली प्राप्त नहीं होती है। बोली 5000 रुपये के गुणांक (multiple) में बढ़ाई जा सकेगी।
- 8 उच्चतम बोलीदाता का चयन कम्प्यूटर सिस्टम द्वारा स्वतः किया जावेगा। जिसकी सूचना सेवा प्रदाता द्वारा जरिये ई—मेल उच्चतम बोलीदाता को भेजी जावेगी।
- 9 एमएसटीसी लिंग द्वारा सफल बोलीदाता द्वारा जमा कराई गई बिड प्रतिभूति राशि संबंधित खनि अभियंता/ सहायक खनि अभियंता/ सहायक खनि अभियंता कार्यालय में नीलामी समाप्ति के पश्चात् तत्काल ट्रांसफर कर दी जायेगी। जिसकी सूचना सेवा प्रदाता कंपनी द्वारा जरिये ई—मेल उच्चतम बोलीदाता तथा संबंधित खनि अभियंता/ सहायक खनि अभियंता कार्यालय को भेजी जायेगी। उक्त बिड प्रतिभूति राशि यदि प्रतिसंहृत नहीं होती है तो उच्चतम बोलीदाता द्वारा जमा कराई जाने वाली प्रथम किश्त में समायोजित की जायेगी।
- 10 सफल बोलीदाता को बोली समाप्ति के 15 दिवस में बिड सिक्यूरिटी राशि से समायोजन उपरान्त् प्रथम किश्त बोली राशि की 40 प्रतिशत में से बची हुई राशि जमा कराते हुए, निम्न दस्तावेज प्रस्तुत करने आवश्यक होगे:—
- (i) बोलीदाता के नाम अथवा उसके परिवारजनों के नाम अथवा उसके जोइन्ट इन्टरेस्ट में वर्तमान में अथवा पूर्व में कोई ठेका/ खनन पट्टा/ क्वारी लाईसेंस धृत रहा हो तो संबंधित सभी खनि अभियन्ता/ सहायक खनि अभियन्ता कार्यालयों द्वारा जारी नो—ड्यूज प्रमाण पत्रों जो कि ई—नीलामी विज्ञप्ति तिथि से 6 माह से अधिक पुराना ना हो प्रस्तुत करना होगा।
- (ii) विभागीय ना बकाया के संबंध में शपथ—पत्र:— यदि बोलीदाता के नाम अथवा उसके परिवारजनों के नाम व उसके जोइन्ट इन्टरेस्ट में पूर्व में या वर्तमान में कोई ठेका/ खनन पट्टा/ क्वारी लाईसेंस धृत नहीं रहा हो तो, इस संबंध में नोटरी सत्यापित शपथ पत्र रुपया 100/- के स्टाम्प पेपर की स्केन प्रति देनी है। शपथ पत्र के प्रारूप अ.ब.स.द.ई वेबसाईट पर अपलोड है, जो भी लागू हो, उसी अनुसार शपथ—पत्र तैयार किया जावें।
1. यदि बोलीदाता Individual (व्यक्ति) हो तो प्रारूप 'अ' में शपथ पत्र प्रस्तुत करना है। 2. यदि बोलीदाता भागीदारी फर्म हो तो प्रत्येक भागीदार को पृथक पृथक प्रारूप 'ब' में तथा फर्म के पॉवर ऑफ एटोर्नी होल्डर को प्रारूप 'स' में फर्म का शपथ पत्र प्रस्तुत करना है। 3. यदि बोलीदाता कम्पनी हो तो प्रत्येक निदेशक को पृथक पृथक प्रारूप 'द' में तथा कम्पनी के अधिकृत व्यक्ति को प्रारूप 'ई' में कम्पनी का शपथ पत्र प्रस्तुत करना है।
- नोट—शपथ पत्र के प्रारूप अ, ब तथा द में बिन्दु संख्या 2 एवं शपथ पत्र के प्रारूप स तथा ई में बिन्दु संख्या 3 में जो लागू हो, वहीं शपथ पत्र में अंकित किया जावे।
- (iii) बोलीदाता कम्पनी होने की दशा में कम्पनी का मेमोरेन्डम एण्ड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एवं सर्टिफीकेट ऑफ इन्कोर्पोरेशन की प्रति।
- (iv) बोलीदाता फर्म होने की दशा में फर्म का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र एवं पार्टनरशिप डीड की प्रति।
- (v) आवेदक फर्म होने पर पॉवर ऑफ एटोर्नी (आरएमएमसीआर 2017 के फार्म नम्बर 4 में) की प्रति तथा आवेदक के कम्पनी होने पर अधिकृत व्यक्ति के बोर्ड रिजोल्यूशन की प्रति।
- (vi) PAN card / GSTIN की प्रति।
- (vii) एड्रेस प्रुफ हेतु आधार कार्ड/ड्राइविंग लाईसेन्स/मतदाता पहचान पत्र इत्यादि की प्रति।
- (viii) ईमेल एड्रेस एवं मोबाइल नंबर साधारण कागज या लेटर पेड पर अंकित करते हुये।

RajKaj Ref  
8659200

- 11 यदि सफल बोलीदाता द्वारा निर्धारित 15 दिवस की अवधि में प्रथम किश्त की संपूर्ण राशि एवं दस्तावेज जमा नहीं कराये जाते हैं, तो उसकी जमा बिड प्रतिभूति राशि जब्त करते हुये आगामी पांच वर्षों हेतु ई-ऑक्शन में भाग लेने से डिबार किया जायेगा।
- 12 विज्ञप्ति के कम संख्या 1 पर अंकित सहायक खनि अभियंता, गोटन के प्लॉट संख्या 12 के सीमांकित क्षेत्र की वर्तमान मोका स्थिति अनुसार क्षेत्र में वन विभाग के कच्चे सीमास्तम्भ एवं तारबंदी कर वृक्षारोपण किया हुआ है। अतः खनन पट्टाधारी को खनन कार्य से पूर्व संबंधित वन विभाग की एनओसी/अनुमति प्राप्त करनी होगी।
- द शासन के पत्र कमांक प.20(8)खान/ग्रुप-2/2023 पार्ट दिनांक 07-10-2023 से खनिज बजरी के खननपट्टें आंवटन की प्रक्रिया एवं मानक संचालन प्रक्रिया (एस.ओ.पी.) जारी की गई है। मानक संचालन प्रक्रिया (एस.ओ.पी.) में वर्णित बिन्दुओं की तथा उसमें समय-समय पर होने वाले संशोधन अनुसार पालना खनन पट्टाधारी को अनिवार्य रूप से करनी होगी:-
- 1 प्लॉट के क्षेत्र में लीजधारक द्वारा नदी के किनारों से भारत सरकार द्वारा जारी Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand, 2020 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार सुरक्षित दूरी छोड़ते हुए खनन कार्य किया जावेगा।
  - 2 लीज धारक नदी के 2 किलोमीटर परिधि में दो स्टॉक स्थल का चयन करेगा जिस पर खातेदार से पंजीकृत सहमति प्राप्त कर नियमानुसार बजरी स्टॉक करेगा। स्टॉक स्थल पर सीसीटीवी कैमरा, खनिज का आवक-जावक रजिस्टर व वे-ब्रिज स्थापित करेगा। स्टॉक स्थल पर एन्ट्री व एकिजट पॉइंट अलग-अलग होंगे।
  - 3 जिन क्षेत्रों में राज्य सरकार द्वारा वे-ब्रिज स्थापित/अधिकृत किये जायेंगे, उन क्षेत्रों में राज्य सरकार के स्थापित/अधिकृत निकटतम तीन तुलाई यंत्रों में से किसी एक पर ही बजरी वाहनों का वजन तथा रवन्ना confirm कराया जाना आवश्यक होगा।
  - 4 जिन प्लॉटों में नदी क्षेत्र में बजरी की मात्रा आनुपातिक रूप से कम है (जैसे नदी के उद्गम के बाद से बहाव क्षेत्र की शुरुआती दूरी), ऐसे क्षेत्रों में बजरी खनन के लिए एच.ई.एम.एम. मशीन द्वारा खनन प्रतिबंधित रहेगा एवं ऐसे प्लॉटों में मैन्युवल माईनिंग का प्रावधान रखा जावेगा।
  - 5 लीजधारक खनिज बजरी का चिह्नित (अनुमोदित) स्टॉक पर बेचान की अधिकतम कीमत राज्य सरकार द्वारा वसूल की जाने वाली रॉयल्टी की 4 गुना होगी, जिसमें रॉयल्टी, डी.एम.एफ.टी, आर.एस.एम.ई.टी अन्य समस्त कर एवम् लोडिंग सम्मिलित होगी जो समय-समय पर रॉयल्टी की दरों में परिवर्तन होने पर समानुपातिक रूप से परिवर्तनशील रहेगी एवं तदनुसार चिह्नित (अनुमोदित) स्टॉक पर बेचान की अधिकतम कीमत का पुनः निर्धारण किया जा सकेगा। बजरी की बेचना की अधिकतम कीमत में नदी से बजरी की भराई, बजरी का नदी से स्टॉक स्थल पर परिवहन तथा स्टॉक स्पल से बजरी की पुनः भराई की लागत सम्मिलित है। निर्धारित अधिकतम दर से अधिक दर पर खनिज बजरी का विक्रय चिह्नित (अनुमोदित) स्टॉक पर नहीं किया जा सकेगा।
  - 6 पट्टाधारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना/पर्यावरण स्वीकृति व अन्य स्वीकृतियों में वर्णित शर्तों के अनुसार ही खनन पट्टा क्षेत्र में खनिज बजरी का खनन किया जावेगा। अनियमितता होने की स्थिति में नियमानुसार खनन पट्टे में जमा प्रतिभूति राशि जब्त करते हुए खनन पट्टा निरस्त कर दिया जावेगा।
  - 7 खनन पट्टा धारक द्वारा खनिज बजरी के खनन/निर्गमन के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों, अन्य न्यायालयों, भारत सरकार एवं राज्य सरकार के आदेशों/निर्देशों की पालना करनी होगी। साथ ही खनन कार्य, सुरक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण एवं जन सुविधाओं के संबंध में वर्तमान में प्रभावी अधिनियम/नियमों तथा समय-समय पर होने वाले संशोधनों की पालना करनी होगी।
  - 8 गैर-मुमकिन नदी नालों के क्षेत्रों में जहां पर किसी भी विभाग द्वारा अन्य कार्यों यथा पेटा काशत या अन्य किसी प्रयोजनार्थ व्यक्ति/संस्था को अनुमति दी गई है/आवंटित की हुई है तो ऐसे क्षेत्रों में खनन पट्टाधारक संबंधित व्यक्ति/संस्था (जिसके पक्ष में अनुमति दी हुई है/आवंटित है) की लिखित सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनिज बजरी का दोहन कर सकेगा।
  - 9 खनन पट्टा धारक गैर-मुमकिन नदी-नाला क्षेत्रों में गिरने वाले प्रतिबंधित क्षेत्र जेसे शमशान, सार्वजनिक प्रयोजनार्थ कुएं, से 45 मीटर की परिधि में, सतह से 3 मीटर से अधिक गहराई पर तथा अन्य किसी वन विभाग या अन्य प्रतिबंधित क्षेत्रों में खनन कार्य नहीं कर सकेगा। खनन पट्टाधारक समय-समय पर जारी निर्देशों/पर्यावरण अनुमति में अनुमत गहराई, जो भी कम हो, तक खनन कार्य सीमित रखेगा।
  - 10 खनन पट्टा धारक द्वारा क्षेत्र में कोई स्ट्रक्चर जो कि अवरुद्ध करता हो, नहीं बनायेगा। खनन कार्य हेतु उपयुक्त गहराई की बैंचेज बनानी होगी। खनन कार्य हेतु माननीय उच्चतम न्यायालय/माननीय उच्च न्यायालय/अन्य न्यायालयों तथा सेंड माईनिंग गाइडलाइन्स के अनुसार किया जावेगा।

RajKaj Ref  
8659200

- 11 खनन पट्टा धारक खनन पट्टा क्षेत्र से बाहर खनन कार्य नहीं करेगा।
- 12 खनन पट्टा धारक द्वारा बजरी खनन कार्य सतह से 3 मीटर से अधिक गहराई पर एवं नदी—नालों के वाटर लेवल से नीचे नहीं किया जायेगा तथा रेल/सड़क पुल के 45 मीटर की परिधि में खनन कार्य नहीं किया जायेगा।
- 13 खनन पट्टा धारक द्वारा खनन पट्टा क्षेत्र में जगह—जगह माइनिंग नहीं की जावेगी।
- 14 खनन पट्टा क्षेत्र में खनिज बजरी की माइनिंग नदी के बीच में डाउन स्ट्रीम के बीच में आधा मीटर मोटाई की स्लाईस में की जा सकेगी। नदी की गहराई पर मिट्टी की सतह पर 1.5 मीटर ऊपर बजरी छोड़नी होगी।
- 15 नदी के दोनों पर FAUNA & FLORA को संरक्षित रखना होगा।
- 16 जिन स्थानों पर बजरी का खनन कार्य किया जा चुका है, उन स्थानों को नदी में उपलब्ध भराव से ही समतल करके पाट दिया जावेगा। इसके लिए बाहर का कोई कचरा/मलबा नहीं डाला जा सकेगा।
- 17 नदी क्षेत्र में खनन कार्य इस प्रकार किया जावेगा कि आस—पास पौधारोपण पुनः पनप सकें। खनन क्षेत्र के आसपास स्थानीय प्रजातियों के वृक्षों का पौधारोपण किया जावेगा। जो रास्ते अनुपयोगी हैं, उनको स्थानीय प्रजाति के पौधों से वृक्षारोपण किया जावेगा।
- 18 नदी / नालों का एवं इनके आसपास जो नहरें बनी हुई है उनका प्रवाह बाधित नहीं किया जावेगा तथा उनके किनारों का समुचित रख रखाव किया जावेगा।
- 19 प्रदेश में मानसून प्रारम्भ व समाप्ति की अवधि 1 जुलाई से 31 अगस्त तक होगी। पट्टेधारी को मानसून अवधि में दो माह खनन कार्य खनन पट्टा क्षेत्र में बंद रखना होगा। इस अवधि में पट्टेधारी को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 11–11–2021 में वर्णित प्रक्रिया अनुसार नदी नालों से 2 किमी. की परिधि में अधिकतम तीन स्थान (location) अनुमत करा भण्डारण कर निर्गमन करने की अनुमति दी जायेगी।
- 20 खननपट्टेधारी द्वारा Central Empowered Committee द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 23.12.2020 के पैरा संख्या 11(III) तथा MoEF&CC द्वारा जारी Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand, 2020 की पालना की जानी होगी।
- 21 पट्टेधारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर अधिशुल्क निर्धारण करवाना होगा।
- 22 पट्टेधारी द्वारा नियमानुसार अधिशुल्क राशि का दस प्रतिशत राशि के बराबर डी.एम.एफ.टी.) राजस्थान स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट नियम, 2020 के नियम 8 के उप—नियम 3 के अंतर्गत आर.एस.एम.ई.टी. व अन्य देय राशि जमा करानी होगी।
- 23 पट्टेधारी को खनिज बजरी के खनन/निर्गमन के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, अन्य न्यायालयों, भारत सरकार एवं राज्य सरकार के आदेशों/निर्देशों की पालना करनी होगी। साथ ही खनन कार्य, सुरक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण एवं जन सुविधाओं के संबंध में वर्तमान में प्रभावी अधिनियम/नियमों तथा समय—समय पर होने वाले संशोधनों की पालना करनी होगी।
- 24 खनिज बजरी के खनन के दौरान निकलने वाला खनिज ग्रेवल/बोल्डर्स का प्रत्येक एक किमी<sup>2</sup> के बाद इकट्ठा किया जाकर उसकी दीवार इस प्रकार बनाई जावेगी कि पानी का बहाव अवरुद्ध न हो।

(भगवती प्रसाद)IAS  
निदेशक

क्रमांक: निदे/अ.ख.अ. नीलामी/नीलामी(ML Bajri VII/2024/ई-07193

प्रतिलिपि :-

- 1— शाखा प्रबंधक, एमएसटीसी लिमिटेड को भेजकर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन एम एस टी सी की वेबसाइट पर आज ही किया जाना सुनिश्चित करें।
- 2— नोडल अधिकारी, डीएमजीओएमएस, कौ. का. उदयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन विभागीय वेबसाइट पर आज ही किया जाना सुनिश्चित करें।

RajKaj Ref  
8659200

- 3 – नोटिस बोर्ड, निदेशालय खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर।
- 4– निम्न को उनके कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु :-
- 5– अतिरिक्त निदेशक (खान) उदयपुर/जयपुर/जोधपुर/कोटा।
- 6– अतिरिक्त निदेशक (भूविज्ञान) उदयपुर/जयपुर/जोधपुर/कोटा/बीकानेर।
- 7– उपविधि परामर्शी, के का उदयपुर को विज्ञप्ति के संबंध में केवियट दायर करने की कार्यवाही हेतु प्रतिलिपि प्रेषित है।
- 8– अधीक्षण खनि अभियंता – उदयपुर/जयपुर/जोधपुर/कोटा/बीकानेर/भरतपुर/अजमेर/भीलवाडा/राजसमंद।
- 9– अधीक्षण भूवैज्ञानिक – उदयपुर/जयपुर/जोधपुर/कोटा/बीकानेर/भरतपुर/अजमेर/भीलवाडा/राजसमंद।
- 10– खनि अभियन्ता, जयपुर/अजमेर/सीकर/मकराना/भरतपुर/करौली/धौलपुर/अलवर/कोटा/रामगंजमण्डी/बून्दी-I/गा/जोधपुर/सिरोही/बीकानेर/नागौर/सोजत/उदयपुर/राजसमन्द-1/गा/आमेर/भीलवाडा/चित्तोडगढ़/प्रतापगढ़/बिजौलिया/झुंझुनू/ब्यावर/जालोर/बाडमेर/श्रीगंगानगर/दुंगरपुर/बांसवाडा/जैसलमेर।
- 11–सहायक खनि अभियन्ता, टौक/कोटपुतली/झालावाड/बालेसर/गोटन/सलूम्बर/ऋषभदेव/निम्बाहेडा/सवाइमाधोपुर/बांरा/दौसा/रूपवास/हनुमानगढ़/चुरू/नीमकाथाना/सावर/खेतड़ी।

(भगवती प्रसाद)IAS  
निदेशक

RajKaj Ref  
8659200

Document certified by Bhagwati Prasad Kalal  
<bhagwatiprasad.kalal@rajasthan.in>.

Digital Signature by Bhagwati  
Prasad Kalal  
Designation: Director  
Date :04-07-2021 10:05:49.09

राजस्थान सरकार

## कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, गोटन

क्रं.सं.		विवरण															
1	प्लॉट क्रमांक	12															
2	खनिज	बजरी															
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	सहायक खनि अभियन्ता, गोटन															
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	जसनगर, तह.—रियाबड़ी, नागौर															
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	52.2654 हैक्टर															
6	स्थिर भाटक	रुपये 4,18,123.2/- (8,000/- प्रति है.) प्रति वर्ष एवं समय— समय पर होने वाले संशोधनानुसार															
7	प्रीमियम की आरक्षित राशि	रुपये 20,90,616/-															
8	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि (गैर सुमकिन नदी)															
9	प्लॉट के स्तम्भों के अक्षांतर व देशांतर	<table border="1"> <thead> <tr> <th>सीमा रेखा</th> <th>अक्षांतर (Latitude)</th> <th>देशांतर (Longitude)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td><td>26°-26'01.5802"</td><td>74°-04'-29.2247"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>26°-25'-36.6914"</td><td>74°-04'-18.8406"</td></tr> <tr> <td>C</td><td>26°-25'-31.9910"</td><td>74°-03'-50.4369"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>26°-25'-52.9670"</td><td>74°-03'-58.7256"</td></tr> </tbody> </table>	सीमा रेखा	अक्षांतर (Latitude)	देशांतर (Longitude)	A	26°-26'01.5802"	74°-04'-29.2247"	B	26°-25'-36.6914"	74°-04'-18.8406"	C	26°-25'-31.9910"	74°-03'-50.4369"	D	26°-25'-52.9670"	74°-03'-58.7256"
सीमा रेखा	अक्षांतर (Latitude)	देशांतर (Longitude)															
A	26°-26'01.5802"	74°-04'-29.2247"															
B	26°-25'-36.6914"	74°-04'-18.8406"															
C	26°-25'-31.9910"	74°-03'-50.4369"															
D	26°-25'-52.9670"	74°-03'-58.7256"															

(मनोज कुमार तवंर)  
सहायक खनि अभियन्ता  
गोटन

## राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, सोजत सिटी, जिला पाली  
खनिज भवन, दाटर वर्क्स रोड., चामुण्डा माता भाकरी के पास, सोजत सिटी जिला पाली (306104)

क्रम संख्या		प्लॉट का विवरण															
1.	प्लॉट क्रमांक	प्लॉट सं. 130, (खनिज बजरी प्लॉट संख्या : -12)															
2.	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, सोजत सिटी															
3.	प्लॉट का राजस्त ग्राम, तहसील, ज़िला	बिजोवा, राजी, पाली															
4.	प्लॉट का क्षेत्रफल	97 6116 हेक्टेयर															
5.	खनिज	बजरी															
6.	स्थिर भातक	रूपये 8,000/- (प्रति हैक्टेयर) प्रतिवर्ष एवं समय समय पर होने वाले संशोधनानुसार															
7.	रॉयलटी की दर	रूपये - 50/- (प्रति टन) एवं समय समय पर होने वाले संशोधनानुसार															
8.	प्रीमियम की आरक्षित दर	रूपये - 39,04,464/-															
9.	भूमि का प्रकार	गै.मु. नदी राजकीय भूमि															
10.	प्लॉट के सींगा स्तम्भों के अक्षांतर व देशांतर	<table border="1"> <thead> <tr> <th>स्थिरा स्तम्भ (PILLAR)</th> <th>अक्षांतर (LATITUDE)</th> <th>देशांतर (LONGITUDE)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td><td>25°-21'-13.26679"</td><td>73°-19'-02.80046"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>25°-21'-19.13528"</td><td>73°-19'-07.99163"</td></tr> <tr> <td>C</td><td>25°-20'-35.47319"</td><td>73°-20'-48.22149"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>25°-20'-27.68128"</td><td>73°-20'-40.09718"</td></tr> </tbody> </table>	स्थिरा स्तम्भ (PILLAR)	अक्षांतर (LATITUDE)	देशांतर (LONGITUDE)	A	25°-21'-13.26679"	73°-19'-02.80046"	B	25°-21'-19.13528"	73°-19'-07.99163"	C	25°-20'-35.47319"	73°-20'-48.22149"	D	25°-20'-27.68128"	73°-20'-40.09718"
स्थिरा स्तम्भ (PILLAR)	अक्षांतर (LATITUDE)	देशांतर (LONGITUDE)															
A	25°-21'-13.26679"	73°-19'-02.80046"															
B	25°-21'-19.13528"	73°-19'-07.99163"															
C	25°-20'-35.47319"	73°-20'-48.22149"															
D	25°-20'-27.68128"	73°-20'-40.09718"															

खनि अभियन्ता,  
खान एवं भू विज्ञान विभाग,  
सोजत सिटी

कार्यालय  
खनि एवं भू विज्ञान विभाग  
सोजत सिटी (प.ली.)

राजस्थान सरकार  
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, जोधपुर

डेलिनियेशन प्लॉट ग्राम धुन्धाडा तहसील लूणी

क्रम संख्या		विवरण																		
1	प्लॉट क्रमांक	BJRJD-7																		
2	खनिज	बजरी																		
3	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता हैं	खनि अभियन्ता, जोधपुर																		
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील जिला	धुन्धाडा, लूणी जोधपुर (ग्रामीण)																		
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	97.2103 हैक्टेयर																		
6	स्थिर भाटक	रूपये 777688/-प्रतिवर्ष एवं समय—समय पर होने वाले संशोधनानुसार																		
7	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि (गैर मुमकिन नदी) खसरा न. 694 / 10																		
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांतर व देशांतर	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Line</th> <th>सीमा स्तम्भ</th> <th>अक्षांतर (Latitude)</th> <th>देशांतर (Longitude)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">Up stream</td> <td>A</td> <td>25°-53'-28.21"</td> <td>72°-49'-45.17"</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>25°-53'-21.77"</td> <td>72°-49'-47.03"</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Down stream</td> <td>A</td> <td>25°-52'-18.447"</td> <td>72°-48'-58.093"</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>25°-52'-48.396"</td> <td>72°-48'-31.950"</td> </tr> </tbody> </table>	Line	सीमा स्तम्भ	अक्षांतर (Latitude)	देशांतर (Longitude)	Up stream	A	25°-53'-28.21"	72°-49'-45.17"	B	25°-53'-21.77"	72°-49'-47.03"	Down stream	A	25°-52'-18.447"	72°-48'-58.093"	B	25°-52'-48.396"	72°-48'-31.950"
Line	सीमा स्तम्भ	अक्षांतर (Latitude)	देशांतर (Longitude)																	
Up stream	A	25°-53'-28.21"	72°-49'-45.17"																	
	B	25°-53'-21.77"	72°-49'-47.03"																	
Down stream	A	25°-52'-18.447"	72°-48'-58.093"																	
	B	25°-52'-48.396"	72°-48'-31.950"																	

  
 खनि अभियन्ता,  
 जोधपुर

राजस्थान सरकार  
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, बाडमेर

क्रम. सं.		विवरण			
1	प्लॉट क्रमांक	206			
2	खनिज	बजरी			
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, बाडमेर			
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, ज़िला	सराणा, पचपदरा, बालोतरा			
5	प्लॉट का क्षैत्रफल	99.00 हैक्टर			
6	स्थिर भाटक	रुपये 792000/- प्रतिवर्ष एवं समय—समय पर होने वाले संशोधनानुसार			
7	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि			
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांतर व देशांतर	Line	सीमा स्तम्भ	अक्षांतर (Latitude)	देशांतर (Longitude)
		Up stream	A	N25°47'41.64051"	E72°21'56.75213"
			B	N25°47'13.30615"	E72°22'01.80738"
		Down stream	C	N25°47'34.46514"	E72°21'05.91325"
			D	N25°47'53.04351"	E72°20'55.20719"

  
 भगवान सिंह  
 खनि अभियन्ता  
 बाडमेर

राजस्थान—सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, भीलवाड़ा (राज.)

EMAIL ID- ME.BHILWARA@RAJASTHAN.GOV.IN PHONE NO. 01482-240262

क्र.सं.	प्लॉट विवरण																											
1	प्लॉट क्रमांक	BJ-38																										
2	खनिज	बजरी																										
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, भीलवाड़ा																										
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	राजस्व ग्राम खैराबाद, कान्चाखेड़ी तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा																										
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	94.2609 हैक्टेयर																										
6	स्थिर भाटक	रुपये 7,54,088/- प्रतिवर्ष एवं समय—समय पर होने वाले संशोधनानुसार																										
7	भूमि का प्रकार	राजकीय गे.मु. नदी ख.सं.-1443, 01, 541/1, 253																										
8	प्लॉट के Up Stream व Down Stream के अक्षान्तर (Latitude) व देशान्तर (Longitude)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Line</th> <th>सीमा स्तम्भ</th> <th>अक्षान्तर (Latitude)</th> <th>देशान्तर (Longitude)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Up Stream</td> <td>A</td> <td>25° 12' 45.74057"</td> <td>74° 34' 52.89150"</td> </tr> <tr> <td></td> <td>B</td> <td>25° 12' 27.07855"</td> <td>74° 34' 51.70093"</td> </tr> <tr> <td></td> <td>C</td> <td>25° 12' 16.64602"</td> <td>74° 35' 01.38386"</td> </tr> <tr> <td>Down Stream</td> <td>D</td> <td>25° 12' 35.65205"</td> <td>74° 35' 48.17397"</td> </tr> <tr> <td></td> <td>E</td> <td>25° 12' 49.63054"</td> <td>74° 35' 47.99378"</td> </tr> </tbody> </table>			Line	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)	Up Stream	A	25° 12' 45.74057"	74° 34' 52.89150"		B	25° 12' 27.07855"	74° 34' 51.70093"		C	25° 12' 16.64602"	74° 35' 01.38386"	Down Stream	D	25° 12' 35.65205"	74° 35' 48.17397"		E	25° 12' 49.63054"	74° 35' 47.99378"
Line	सीमा स्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (Longitude)																									
Up Stream	A	25° 12' 45.74057"	74° 34' 52.89150"																									
	B	25° 12' 27.07855"	74° 34' 51.70093"																									
	C	25° 12' 16.64602"	74° 35' 01.38386"																									
Down Stream	D	25° 12' 35.65205"	74° 35' 48.17397"																									
	E	25° 12' 49.63054"	74° 35' 47.99378"																									

  
 खनि अभियन्ता  
 भीलवाड़ा,

## कार्यालय खनि अभियन्ता खान एवं भू-विज्ञान विभाग, बिजौलियां

क्र.सं.	प्लॉट विवरण																																								
1	प्लॉट क्रमांक	BJ-10																																							
2	खनिज	बजरी																																							
3	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता बिजौलियां																																							
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	जालियां व गोपालपुरा एवं पदमपुरा, तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा																																							
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	72.5221 हेक्टर																																							
6	खनन पट्टा स्थिरभाटक	5,80,177/- प्रतिवर्ष एवं समय समय पर हाने वाले संशोधनानुसार																																							
7	भूमि का प्रकार	राजकीय बिलानाम गौमुनदी ( जालियां खसरा नं 894,895 व गोपालपुरा खसरा नं 1832 एवं पदमपुरा खसरा नं 01 )																																							
8	प्लॉट के सीमास्तम्भों का अक्षान्तर एवं देशान्तर	<table border="1"> <thead> <tr> <th>सीमास्तम्भ</th> <th>अक्षान्तर</th> <th>देशान्तर</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td><td>25°17'49.3484"</td><td>75°04'29.4262"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>25°17'49.2376"</td><td>75°04'35.0144"</td></tr> <tr> <td>C</td><td>25°17'49.7598"</td><td>75°04'41.3872"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>25°17'36.4551"</td><td>75°04'38.0846"</td></tr> <tr> <td>E</td><td>25°17'24.6309"</td><td>75°04'28.8533"</td></tr> <tr> <td>F</td><td>25°17'14.2399"</td><td>75°04'14.6983"</td></tr> <tr> <td>G</td><td>25°17'11.8269"</td><td>75°04'08.5955"</td></tr> <tr> <td>H</td><td>25°17'13.9995"</td><td>75°03'59.8327"</td></tr> <tr> <td>I</td><td>25°17'17.3260"</td><td>75°03'48.9151"</td></tr> <tr> <td>J</td><td>25°17'32.4364"</td><td>75°04'06.6420"</td></tr> <tr> <td>K</td><td>25°17'41.3528"</td><td>75°04'25.2419"</td></tr> <tr> <td>L</td><td>25°17'44.9454"</td><td>75°04'27.5510"</td></tr> </tbody> </table>	सीमास्तम्भ	अक्षान्तर	देशान्तर	A	25°17'49.3484"	75°04'29.4262"	B	25°17'49.2376"	75°04'35.0144"	C	25°17'49.7598"	75°04'41.3872"	D	25°17'36.4551"	75°04'38.0846"	E	25°17'24.6309"	75°04'28.8533"	F	25°17'14.2399"	75°04'14.6983"	G	25°17'11.8269"	75°04'08.5955"	H	25°17'13.9995"	75°03'59.8327"	I	25°17'17.3260"	75°03'48.9151"	J	25°17'32.4364"	75°04'06.6420"	K	25°17'41.3528"	75°04'25.2419"	L	25°17'44.9454"	75°04'27.5510"
सीमास्तम्भ	अक्षान्तर	देशान्तर																																							
A	25°17'49.3484"	75°04'29.4262"																																							
B	25°17'49.2376"	75°04'35.0144"																																							
C	25°17'49.7598"	75°04'41.3872"																																							
D	25°17'36.4551"	75°04'38.0846"																																							
E	25°17'24.6309"	75°04'28.8533"																																							
F	25°17'14.2399"	75°04'14.6983"																																							
G	25°17'11.8269"	75°04'08.5955"																																							
H	25°17'13.9995"	75°03'59.8327"																																							
I	25°17'17.3260"	75°03'48.9151"																																							
J	25°17'32.4364"	75°04'06.6420"																																							
K	25°17'41.3528"	75°04'25.2419"																																							
L	25°17'44.9454"	75°04'27.5510"																																							

( सत्यनारायण कुमावत )  
  
 खनि अभियन्ता  
 बिजौलियां

## राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, सोजत सिटी, जिला पाली  
खनिज भवन, वाटर वर्क्स रोड., चामुण्डा माता भाकरी के पास, सोजत सिटी जिला पाली (306104)

क्रम संख्या	प्लॉट का विवरण
1.	प्लॉट क्रमांक प्लॉट सं. 131, (खनिज बजरी प्लॉट संख्या :—13)
2.	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है खनिज अभियन्ता, सोजत सिटी
3.	प्लॉट का राजस्प ग्राम, राहसील, जिला पुनाड़िया, रानी, पाली
4.	प्लॉट का क्षेत्रफल 92.76 हेक्टेयर
5.	खनिज बजरी
6.	स्थिर भाटक रुपये — 8,000/- (प्रति हेक्टेयर) प्रतिवर्ष एवं समरा समरा पर होने वाले संशोधनानुसार
7.	रॉयल्टी की दर रुपये — 50/- (प्रति टन) एवं समय समय पर होने वाले संशोधनानुसार
8.	प्रीमियम की आरक्षित दर रुपये — 37,10,400/-
9.	भूगि का प्रकार गै.मु. नदी राजकीय भूमि
10.	प्लॉट के सींगा स्टार्ट के अक्षांतर व देशांतर सींगा स्टार्ट (PILLAR) अक्षांतर (LATITUDE) देशांतर (LONGITUDE) A 25°-24'-24.90635" 73°-16'-26.68083" B 25°-24'-22.76471" 73°-16'-38.18066" C 25°-23'-18.92927" 73°-17'-23.62920" D 25°-23'-13.70081" 73°-17'-18.13513" E 25°-23'-10.76303" 73°-17'-13.17187"

खनि अभियन्ता,  
खान एवं भू विज्ञान विभाग,  
सोजत सिटी

खनि अभियन्ता  
खान एवं भू विज्ञान विभाग  
सोजत सिटी (प.ली.)

राजस्थान सरकार  
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एंव भू विज्ञान विभाग, जोधपुर

डेलिनियेशन प्लॉट ग्राम बाला तहसील बिलाडा

क्रम संख्या		विवरण																				
1	प्लॉट क्रमांक	BJRJD-9																				
2	खनिज	बजरी																				
3	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता हैं	खनि अभियन्ता, जोधपुर																				
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील जिला	बाला, बिलाडा, जोधपुर (ग्रामीण)																				
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	94.8225 हैक्टेयर																				
6	स्थिर भाटक	रूपये 758584/-प्रतिवर्ष एवं समय—समय पर होने वाले संशोधनानुसार																				
7	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि (गैर मुमकिन नदी) खसरा न. 276																				
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांतर व देशांतर	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Line</th> <th>सीमा स्तम्भ</th> <th>अक्षांतर (Latitude)</th> <th>देशांतर (Longitude)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Up stream</td> <td>A</td> <td>26°-11'-27.569"</td> <td>73°-31'-50.074"</td> </tr> <tr> <td></td> <td>B</td> <td>26°-11'-5.830"</td> <td>73°-31'-54.550"</td> </tr> <tr> <td>Down stream</td> <td>C</td> <td>26°-10'-47.367"</td> <td>73°-30'-44.442"</td> </tr> <tr> <td></td> <td>D</td> <td>26°-10'-56.701"</td> <td>73°-30'-39.929"</td> </tr> </tbody> </table>	Line	सीमा स्तम्भ	अक्षांतर (Latitude)	देशांतर (Longitude)	Up stream	A	26°-11'-27.569"	73°-31'-50.074"		B	26°-11'-5.830"	73°-31'-54.550"	Down stream	C	26°-10'-47.367"	73°-30'-44.442"		D	26°-10'-56.701"	73°-30'-39.929"
Line	सीमा स्तम्भ	अक्षांतर (Latitude)	देशांतर (Longitude)																			
Up stream	A	26°-11'-27.569"	73°-31'-50.074"																			
	B	26°-11'-5.830"	73°-31'-54.550"																			
Down stream	C	26°-10'-47.367"	73°-30'-44.442"																			
	D	26°-10'-56.701"	73°-30'-39.929"																			

*m*  
खनि अभियन्ता,  
जोधपुर

राजस्थान सरकार  
खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, बाडमेर

क्रम. सं.	विवरण																				
1	प्लॉट कमांक 207																				
2	खनिज बजरी																				
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है खनि अभियन्ता, बाडमेर																				
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, ज़िला सराणा, पचपदरा, बालोतरा																				
5	प्लॉट का क्षेत्रफल 75.00 हैक्टर																				
6	स्थिर भाटक रुपये 600000/- प्रतिवर्ष एवं समय—समय पर होने वाले संशोधनानुसार																				
7	भूमि का प्रकार. राजकीय भूमि																				
8	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Line</th> <th>सीमा स्तम्भ</th> <th>अक्षांतर (Latitude)</th> <th>देशांतर (Longitude)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Up stream</td> <td>A</td> <td>N25°47'34.46514"</td> <td>E72°21'05.91325"</td> </tr> <tr> <td></td> <td>B</td> <td>N25°47'53.04351"</td> <td>E72°20'55.20719"</td> </tr> <tr> <td>Down stream</td> <td>C</td> <td>N25°48'10.36904"</td> <td>E72°20'32.05838"</td> </tr> <tr> <td></td> <td>D</td> <td>N25°48'09.33400"</td> <td>E72°20'19.35565"</td> </tr> </tbody> </table> <p>प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांतर व देशांतर</p>	Line	सीमा स्तम्भ	अक्षांतर (Latitude)	देशांतर (Longitude)	Up stream	A	N25°47'34.46514"	E72°21'05.91325"		B	N25°47'53.04351"	E72°20'55.20719"	Down stream	C	N25°48'10.36904"	E72°20'32.05838"		D	N25°48'09.33400"	E72°20'19.35565"
Line	सीमा स्तम्भ	अक्षांतर (Latitude)	देशांतर (Longitude)																		
Up stream	A	N25°47'34.46514"	E72°21'05.91325"																		
	B	N25°47'53.04351"	E72°20'55.20719"																		
Down stream	C	N25°48'10.36904"	E72°20'32.05838"																		
	D	N25°48'09.33400"	E72°20'19.35565"																		

  
भगवान सिंह  
खनि अभियन्ता  
बाडमेर

राजस्थान—सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, भीलवाड़ा (राज.)

EMAIL ID- ME.BHILWARA@RAJASTHAN.GOV.IN PHONE NO. 01482-240262

क्र.सं.	प्लॉट विवरण																											
1	प्लॉट क्रमांक	BJ-39																										
2	खनिज	बजरी																										
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, भीलवाड़ा																										
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	राजस्व ग्राम खैराबाद, कान्याखेड़ी तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा																										
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	47.0597 हैक्टेयर																										
6	स्थिर भाटक	रुपये 3,76,480/- प्रतिवर्ष एवं समय—समय पर होने वाले संशोधनानुसार																										
7	भूमि का प्रकार	राजकीय गे.मु. नदी ख.सं.-1594, 253																										
8	प्लॉट के Up Stream व Down Stream के अक्षांतर (Latitude) व देशांतर (Longitude)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Line</th> <th>सीमा स्तम्भ</th> <th>अक्षांतर (Latitude)</th> <th>देशांतर (Longitude)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Up Stream</td> <td>A</td> <td>25° 12' 35.65205"</td> <td>74° 35' 48.17397"</td> </tr> <tr> <td></td> <td>B</td> <td>25° 12' 49.63054"</td> <td>74° 35' 47.99378"</td> </tr> <tr> <td>Down Stream</td> <td>C</td> <td>25° 12' 45.52962"</td> <td>74° 36' 29.10495"</td> </tr> <tr> <td></td> <td>D</td> <td>25° 12' 53.26706"</td> <td>74° 36' 29.08017"</td> </tr> <tr> <td></td> <td>E</td> <td>25° 12' 59.24675"</td> <td>74° 36' 24.44888"</td> </tr> </tbody> </table>			Line	सीमा स्तम्भ	अक्षांतर (Latitude)	देशांतर (Longitude)	Up Stream	A	25° 12' 35.65205"	74° 35' 48.17397"		B	25° 12' 49.63054"	74° 35' 47.99378"	Down Stream	C	25° 12' 45.52962"	74° 36' 29.10495"		D	25° 12' 53.26706"	74° 36' 29.08017"		E	25° 12' 59.24675"	74° 36' 24.44888"
Line	सीमा स्तम्भ	अक्षांतर (Latitude)	देशांतर (Longitude)																									
Up Stream	A	25° 12' 35.65205"	74° 35' 48.17397"																									
	B	25° 12' 49.63054"	74° 35' 47.99378"																									
Down Stream	C	25° 12' 45.52962"	74° 36' 29.10495"																									
	D	25° 12' 53.26706"	74° 36' 29.08017"																									
	E	25° 12' 59.24675"	74° 36' 24.44888"																									

खनि *मु*  
अभियन्ता  
भीलवाड़ा,

क्र.सं.	प्लॉट विवरण																																																		
1	प्लॉट क्रमांक	<b>BJ-11</b>																																																	
2	खनिज	बजरी																																																	
3	कार्यालय का नाम जहां प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता बिजौलियां																																																	
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	जालियां व रलायता एवं बिलियां, तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा																																																	
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	74.3801 हैक्टर																																																	
6	खनन पट्टा स्थिरभाटक	5,95,041/- प्रतिवर्ष एवं समय समय पर हाने वाले संशोधनानुसार																																																	
7	भूमि का प्रकार	राजकीय बिलानाम गौ0मु0नदी ( जालियां खसरा नं 893/2 ,411 व रलायता खसरा नं 01 एवं बिलियां खसरा नं 565 )																																																	
8	प्लॉट के सीमास्तम्भों का अक्षान्तर एवं देशान्तर	<table border="1"> <thead> <tr> <th>सीमास्तम्भ</th> <th>अक्षान्तर</th> <th>देशान्तर</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td><td>25°17'49.3484"</td><td>75°04'29.4262"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>25°17'59.5597"</td><td>75°04'32.9281"</td></tr> <tr> <td>C</td><td>25°18'07.5486"</td><td>75°04'32.0353"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>25°18'10.7954"</td><td>75°04'32.2797"</td></tr> <tr> <td>E</td><td>25°18'23.2437"</td><td>75°04'28.8100"</td></tr> <tr> <td>F</td><td>25°18'30.0881"</td><td>75°04'27.4370"</td></tr> <tr> <td>G</td><td>25°18'45.8449"</td><td>75°04'22.1146"</td></tr> <tr> <td>H</td><td>25°19'00.9640"</td><td>75°04'14.3690"</td></tr> <tr> <td>I</td><td>25°19'04.5272"</td><td>75°04'11.7378"</td></tr> <tr> <td>J</td><td>25°19'07.7939"</td><td>75°04'24.0932"</td></tr> <tr> <td>K</td><td>25°18'52.6639"</td><td>75°04'31.3777"</td></tr> <tr> <td>L</td><td>25°18'24.7426"</td><td>75°04'39.5895"</td></tr> <tr> <td>M</td><td>25°17'55.6021"</td><td>75°04'40.8211"</td></tr> <tr> <td>N</td><td>25°17'49.5912"</td><td>75°04'39.3290"</td></tr> <tr> <td>O</td><td>25°17'49.2376"</td><td>75°04'35.0144"</td></tr> </tbody> </table>		सीमास्तम्भ	अक्षान्तर	देशान्तर	A	25°17'49.3484"	75°04'29.4262"	B	25°17'59.5597"	75°04'32.9281"	C	25°18'07.5486"	75°04'32.0353"	D	25°18'10.7954"	75°04'32.2797"	E	25°18'23.2437"	75°04'28.8100"	F	25°18'30.0881"	75°04'27.4370"	G	25°18'45.8449"	75°04'22.1146"	H	25°19'00.9640"	75°04'14.3690"	I	25°19'04.5272"	75°04'11.7378"	J	25°19'07.7939"	75°04'24.0932"	K	25°18'52.6639"	75°04'31.3777"	L	25°18'24.7426"	75°04'39.5895"	M	25°17'55.6021"	75°04'40.8211"	N	25°17'49.5912"	75°04'39.3290"	O	25°17'49.2376"	75°04'35.0144"
सीमास्तम्भ	अक्षान्तर	देशान्तर																																																	
A	25°17'49.3484"	75°04'29.4262"																																																	
B	25°17'59.5597"	75°04'32.9281"																																																	
C	25°18'07.5486"	75°04'32.0353"																																																	
D	25°18'10.7954"	75°04'32.2797"																																																	
E	25°18'23.2437"	75°04'28.8100"																																																	
F	25°18'30.0881"	75°04'27.4370"																																																	
G	25°18'45.8449"	75°04'22.1146"																																																	
H	25°19'00.9640"	75°04'14.3690"																																																	
I	25°19'04.5272"	75°04'11.7378"																																																	
J	25°19'07.7939"	75°04'24.0932"																																																	
K	25°18'52.6639"	75°04'31.3777"																																																	
L	25°18'24.7426"	75°04'39.5895"																																																	
M	25°17'55.6021"	75°04'40.8211"																																																	
N	25°17'49.5912"	75°04'39.3290"																																																	
O	25°17'49.2376"	75°04'35.0144"																																																	

  
 ( सत्यनारायण कुमावत )  
 खनि अभियन्ता  
 बिजौलियां

राजस्थान सरकार  
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, बाडमेर

क्रम. सं.		विवरण			
1	प्लॉट क्रमांक	210			
2	खनिज	बजरी			
3	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	खनि अभियन्ता, बाडमेर			
4	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील, जिला	बिठुजा, पचपदरा, बालोतरा			
5	प्लॉट का क्षेत्रफल	99.00 हैक्टर			
6	स्थिर भाटक	रुपये 792000/- प्रतिवर्ष एवं समय—समय पर होने वाले संशोधनानुसार			
7	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि			
8	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांतर व देशांतर	Line	सीमा स्तम्भ	अक्षांतर (Latitude)	देशांतर (Longitude)
		Up stream	A	N25°48'55.52670"	E72°17'58.67394"
			B	N25°48'32.01438"	E72°18'01.81533"
		Down stream	C	N25°48'50.49626"	E72°17'08.33417"
			D	N25°48'25.53239"	E72°17'11.50110"

मेरे  
भगवान सिंह  
खनि अभियन्ता  
बाडमेर